महानगर जागरण

सूबे में शीघ्र लागू होगी वेण्डर नीति : मंत्री

पटना, हमारे प्रतिनिधि : राज्य सरकार शीघ्र ही सूबे में वेण्डर नीति लागू करेगी। इसके लिए वेण्डर नीति तैयारी की जा रही है। इसके तहत वेण्डरों को कई तरह की सुविधायें मुहैया करायी जायेंगी। यह बातें गुरुवार को स्थानीय श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में नेशनल एसोसिएशन आफ स्ट्रीट वेंडर्स आफ इण्डिया (नासवी) की ओर से आयोजित वेण्डर डे समारोह में नगर विकास मंत्री डा.प्रेम कुमार ने कहीं।

श्री कुमार ने कहा कि सरकार वेण्डर नीति लागू करने एवं वेण्डरों की हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वेण्डर नीति लागू होने के बाद वेण्डरों को लाइसेंस प्रदान किया जायेगा। उन्हें बैंकिंग सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि राज्य सरकार वेण्डरों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान करेगी। इसके लिए नीति बनायी जा रही है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए नासवी के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द सिंह ने कहा कि वेण्डर किसी भी शहर के मुख्य अंग हैं। उनके बिना शहर की कल्पना नहीं की जा सकती है। सरकार उन्हें व्यवस्थित करने की योजना तैयार करें। वेण्डरों को उजाड़कर शहर नहीं बसाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 2004 में वेण्डर नीति तैयार की गयी है। लेकिन राज्य सरकार अभी तक केवल आश्वासन दे रही है। राज्य सरकार को वेण्डरों के हितों को देखते हुए बड़े से बड़े कदम उठाने की जरूरत है। इस अवसर पर विधायक अरूण कुमार सिन्हा, आशा सिन्हा, पूनम देवी, चन्द्र प्रकाश सिंह, रंजीत अभिज्ञान, राकेश कुमार, गोपाल जी एवं संजय कुमार सहित कई लोगों ने भाग लिया।

विक्रेताओं की सब्जियां देखते मंत्रीगण व विधायक — जागरण

सहूलियत

- गरीबी रेखा से नीचे के वेण्डरों को मिलेगा आवास की सुविधा